	नही किया गया है। प्रकरण में कोई भी आदेश पारित होने से प्रार्थीगण के हित प्रभावित होना संभावित है। प्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित करने से न्यायालय के समक्ष प्रकरण के सही तथ्य प्रकट होगे जो कि न्याय निर्णयन में सहायक सिद्ध हो सकते है। अतः इस स्थिति में न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट संशोधित अपील मीमो प्रस्तुत करे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 19–01–2026 को पेश हो। (उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	
19-1-26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पूर्व आदेश की पालना में अभिभाषक अपीलांट द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया, जिसकी प्रति अभिभाषक रेस्पो. को दी गई। पत्रावली वास्ते बहस आगामी 22-1-26 को पेश हो।	
22/1/26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक रेस्पो. उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को बार-बार आवाजे लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते